[redacted] [redacted]

रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 19 दिसम्बर, 2001/28 अग्रहायण, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 19 दिसम्बर, 2001

संख्या 1-78/2001-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(2001 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो चुका है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय मण्डारी,
सचिव।

2001 का विधेयक संख्यांक 20.

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 है ।

धारा 14 का संशोधन ।

(1973 का 4)

2. हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 में,—

(क) उप-धारा (1) का, स्पष्टीकरण सहित, लोप किया जाएगा, और

(ख) उप-धारा (3) में "उप-धारा (1) के अन्तर्गत आने वाले से भिन्न" शब्दों, चिन्हों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 (1) के अनुसार, ट्रैक्टर जिन्हें भारत सरकार द्वारा गैरपरिवहन यानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है, यदि वे भू-स्वामी द्वारा कृषि कार्यों के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह देखा गया है कि ट्रैक्टरों के स्वामी इन्हें पूर्णतया कृषि प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में नहीं लाते हैं किन्तु पूर्णतया वाणिज्यिक कार्यों, जैसे निर्माण सामग्री अर्थात् रेत, बजरी/ईंटें ढोने के लिए उपयोग में लाते हैं, जिससे राज्य को भारी मात्रा में राजस्व का नुक्सान होता है। राज्य में वर्तमानत: 31-3-2001 तारीख तक 10,419 ट्रैक्टर और 288 ट्रेलर रजिस्ट्रीकृत हैं और उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। छूट के कारण, राज्य को दो करोड़ रुपए के राजस्व का वार्षिक घाटा उठाना पड़ रहा है और इस बारे में स्वामियों को दिन प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कर का संदाय किए बिना, ट्रैक्टरों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने के लिए चालान किए जाते हैं। इस दृष्टि से, यह अनिवार्य हो गया है कि उपरोक्त अधिनियम में, छूट के खण्ड का लोप किया जाए और वह स्वामी, जो ट्रैक्टरों को वास्तव में अपने निजी कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसार, छूट प्रदान की जा सकती है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

किशन कपूर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
....., 2001.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 ट्रैक्टरों को कर के दायरे के अधीन लाने के लिए है । इससे राजकोष को लगभग दो करोड़ रुपए वार्षिक की प्राप्ति संभाव्य है । प्रस्तावित विधेयक जब अधिनियमित होगा, विद्यमान प्रशासनिक तन्त्र द्वारा प्रशासित किया जाएगा और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[परिवहन विभाग नस्ति संख्या टी0पी0टी0सी0 (9) 3/2000-II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उक्त विधेयक को विधान सभा में पुनःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 20 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2001

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (*Act No.* 4 *of* 1973).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2001.

Amendment of section 14.

2. In section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972,— 4 of 1973

(*a*) sub-section (1) alongwith EXPLANATION shall be deleted ; and

(*b*) in sub-section (3), the words, signs, figures and brackets "other than those falling under sub-section (1)" shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per section 14(1) of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, tractors which have been classified as non-transport vehicles by the Government of India are exempted from the payment of tax if the same are used for agricultural purposes in relation to his own land. It has been noticed that the owners of tractors are not using the same solely for agricultural purposes but also for commercial purposes like carriage of construction material like sand/bajri/bricks, which results in huge loss of revenue to the State. Presently, there are 10419 tractors and 288 trailers registered in the State as on 31-3-2001 and their number is increasing day by day. On account of the exemption, the State is loosing revenue to the tune of Rs. 2 crores annually approximately and the owners are also facing day to day problems in this regard as they are being challaned for using the tractors for commercial purposes without paying tax. In view of this, it is imperative that the exemption clause in the Act *ibid* be deleted and the owners who use the tractors for their personal bonafide agriculture use can be granted exemption as per sub-section (3) of section 14 of the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

KISHAN KAPOOR,
Minister-in-charge.

SHIMLA :

The....., 2001.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to bring the tractors under the purview of tax. This is likely to yield about Rs. 2.00 crores annually to the State Ex-chequer. The proposed Bill when enacted will be administered by the existing administrative machinery and will not result in additional expenditure from the State Ex-chequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Transport Department file No. TPT-C(9)3/2000-II]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Bill, 2001, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-6 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित